P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11*(Part-2) February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

राजस्थान की जनजातियों की समस्याएँ एवं समस्या समाधान

राजीव कुमार मीना
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

जनजातियाँ वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भू–भाग में निवास करती है व जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती है। भारतीय जनजातियों के मूल स्रोत कभी देश के सम्पूर्ण भू–भाग पर फैली प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड तथा मंगोल जैसी प्रजातियों को माना जाता है। राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांसी, कथोडी, कंजर आदि है।

जनजातियां ऐसे इलाको में निवास करती है जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं की पहुँच न के बराबर है। लिहाजा ये बहुत सारी समस्याएं झेल रही है। सामाजिक समस्याए अर्थात सामाजिक संपर्क स्थापित न कर पाने के कारण सामाजिक–सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती है। इसी के साथ शिक्षा,मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओ से वंचन की स्थिति भी मिलती है। आज भी जनजातीय समुदायों के एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है इसके अलावा आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, ऋणग्रस्तता,मानव तस्करी एवं धार्मिक अलगाव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति सुधारने के प्रयास किये जा रहे है साथ ही जनजातियों के प्रति मीडिया व सरकार की उदासीनता को खत्म करना, आदिवासी परिवारों को कृषि हेतु जमीन उपलब्ध करवाना, कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से अवगत करवाना,शिक्षा संबंधी समस्याएं दूर करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वास्थ्य समस्या निदान के उपाय, पोष्टिक आहार, विटामिन की गोलियां आदि प्रदान किये जा रहे है।जनजातियों के सांस्कृतिक अलगाव की समस्या के निजात हेतु ऐसे विश्वविधालय स्थापित किये जा रहे है जहां आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जा सके द्य जनजातियों के लिए किए जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्ही की भाषा मे हो द्य इसमें उनकी भाषा संबंधी समस्या का समाधान निहित है।

मुख्य शब्द : जनजाति, राजस्थान की जनजातियां, जनजातियों की समस्याए, समस्या समाधान के प्रयास।

प्रस्तावना

आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने हासिल कर लिया है लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो हाशिये पर है। इस तबके के अंतर्गत वे जनजातियाँ आती है जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवनयापन कर रही है और कई समस्याएं झेल रही है।

2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में में 13.48% अनुसूचित जनजाति निवास करती है, जिसमे 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में निवास करती है।

जनजातियाँ ऐसे इलाको में निवास करती है जहां तक बुनियादी सुविधाओं की पहुँच न के बराबर होती है। राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियाँ भील, मीना, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांसी, कथोडी है। संपूर्ण राष्ट्र की भांति राजस्थान का जनजातीय समाज भी अभी तक अपने सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के बहुमूल्य तंतुओं को संजोए हुए है। राजस्थानी जनजातियों की बहुरंगी सांस्कृतिक धरोहर की अपनी अलग पहचान है।यहाँ की जनजातियों ने अपनी स्वछंद, स्वावलंबी व स्वाभिमानी जीवनशैली की रक्षा के लिए न केवल बाह्य ताकतों से सामना किया बल्कि वनों तथा पहाड़ो की सुरक्षा ने अपनी मूल संस्कृति व सामाजिक परंपराओं को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया।

भौतिक सुख सुविधाओं से अपरिचित, वैज्ञानिक विकास से दूर, वर्तमान फैशनकाल की चकाचौंध दुनिया से अनभिज्ञ, सामाजिक संपर्क की अल्पता से उपजे शांत व एकाकी परिवेश में जीवनयापन करने वाली राजस्थान की जनजातियाँ आज भी परंपरागत सामाजिक मूल्यों व संस्कारो पर टिकी हुई है।

चित्र–राजस्थान की जनजातियां

राजस्थान की जनजातियां

मीना–जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, पाली ।

भील–बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली।

गरासिया–डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा, पाली, उदयपुर ।

सहरिया–कोटा, बारा (किशनगढ़ व शाहबाद तहसील)

सांसी–भरतपुर

डामोर–डूंगरपुर, बाँसवाड़ा

कथोडी–उदयपुर (सांगवाड़ा तहसील)

कंजर–कोटा,बूंदी ।

कालबेलिया–अजमेर ।

अध्ययन के उद्देश्य

1. राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं की पहचान करना ।
2. राजस्थान की जनजातियों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें वर्तमान परिवेश से जोड़ने के सुझाव देना ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन को सम्पन्न करने के लिए मैने प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों आंकड़ो का प्रयोग किया है। प्राथमिक आंकड़ो के संग्रह के लिए मैने प्रतिचयन विधि के आधार पर सुविधानुसार अलग अलग जनजतियो के अलग अलग क्षेत्रों का चयन कर स्वयं पर्यवेक्षण एवं परीक्षण के आधार पर अध्ययन किया । जिसमे –

1. भील एंव गरासिया जनजाति के अध्ययन हेतु नाना,मालनु, बेड़ा गांव (जिला पाली) एवं पिण्डवाड़ा (जिला सिरोही) का चयन किया।
2. मीना जनजाति हेतु केसरपुरा, मालनु गांव (जिला पाली), दांतासुती, बामनवास (जिला सवाई माधोपुर) का चयन किया ।
3. सहरिया के लिए शाहबाद (बारा) का चयन किया ।
4. डामोर के अध्ययन के लिए डूंगरपुर जिला ।
5. कथोडी के लिए उदयपुर का चयन किया ।
6. साथ ही द्वितीयक आकड़ो की सहायता भी ली गई है।

राजस्थान की जनजातियों की समस्याएँ

जनजातियाँ ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है जहां तक बुनियादी सुविधाओं की पहुच न के बराबर है। लिहाजा ये बहुत सारी समस्याएँ झेल रही है।

1. जनजातियों का अन्य जातियों के साथ सामाजिक संपर्क के अभाव के कारण उनमें सामाजिक–सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यता (छुआछूत) की भावना महसूस करती है।
2. जनजातियों का बड़ा हिस्सा निरक्षर है जिससे वे आम बोलचाल की भाषा भी नही समझ पाते एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी का बोध नही हो पाता यही इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है।

3. गरीबी और ऋणग्रस्तता के चलते आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है। बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, कृषि क्षेत्रो से बेदखली बढ़ती जा रही है। ये लोग अन्य लोगो के घरों, खेतो में काम करते है एवं गरीबी में चलते अपने बच्चो को शिक्षा नही दिलवा पाते एवं दलालों के हाथों बड़े बड़े व्यवसायियों को पैसे के लिए बेच देते है, बच्चो को घृणित से घृणित कार्य करने पड़ते है वे मानव तस्करी का शिकार भी हो जाते है। जनजातियों की लड़कियों को वैश्यावृति जैसे घिनोने कार्य की ओर धकेल देते है जिसकी वजह आर्थिक रूप से पिछड़ापन है।
4. जनजातियों में धार्मिक अलगाव और जनजतियो के अलग अलग देवी देवता होने के कारण उन्हें अन्य वर्गों द्वारा छुआछूत का शिकार होना पड़ता है, उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश नही करने दिया जाता एवं प्रवेश करने पर उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है।
5. जनजातियों में स्वास्थ्य एवं पोषण की कमी के कारण महिलाए एवं बच्चों की देखरेख ठीक से नही हो पाती, गरीबी के चलते वे लोग इलाज भी नही करवा पाते एवं पारंपरिक जादू टोटको, भोपे लोगो के चंगुल में फँस जाते है।
6. नवीन कृषि प्रणालियों के ज्ञान के अभाव में कृषि की पारंपरिक स्थानांतरित प्रणाली के उपयोग के कारण वन विनाश की वजह बनते है।
7. जनजातियाँ अनेक सांस्कृतिक समस्याएं –सांस्कृतिक विघटन, परसंस्कृतिग्रहण के कारण अभियोजन अनुकूलन की समस्या,भाषा की समस्या, जनजातीय धर्म के प्रति उदासीनता की प्रवृति, परस्पर ऊँच नीच एवं लोककलाओं के पतन के कारण जनजातीय सभ्यता व संस्कृति विनाश के कगार पर है।
8. नगरीकरण, औद्योगिकरण, बाह्य संपर्क के कारण पारिवारिक विघटन, नैतिक पतन, मधपान,सामुहिक जीवन मे गतिरोध, स्त्रियों की स्थिति में ह्रास एवं संस्कृति विघटन की समस्याए पैदा हो रही है।

जनजातियों की समस्याओं का समाधान

1. जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए एवं उन्हें स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे शिक्षा ग्रहण के बाद उन्हें रोजगार मिल सके। कृषि,पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन व अन्य हस्तकलाओं का प्रशिक्षण दिया जाए ।
2. जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक और आधुनिक दवाइयों का प्रबंधन किया जाए एवं उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था कर कुपोषण से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके।
3. सांस्कृतिक अलगाव की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किये जाए जहां आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जा सके, उनकी संस्कृति संरक्षण हेतु प्रोग्राम आयोजित किये जाए, लोक कलाओं का संरक्षण के प्रयास किये जाए, भाषाई समस्याओं का समाधान के भी प्रयास करे।
4. आदिवासी परिवारों को आर्थिक पिछड़ेपन व ऋणग्रस्तता से निकालने के लिए उन्हें कृषि हेतु पर्याप्त भूमि, कृषि की नवीन तकनीकों का ज्ञान, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, बालश्रम, मानव तस्करी, वैश्यावृति रोकने के कानूनी उपाय किये जाए ।
5. सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जनजातियों को जागरूक करने के कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाए एवं समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जाए, जैसे राज्यसभा टी.वी. चैनल द्वारा चलाए जा रहे 'मैं भी भारत' कार्यक्रम ।
6. सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था मसलन–छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना इत्यादि।

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के संरक्षण के लिए निम्न उपबंध तय किए है –

1. अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा की जाए व इन्हें सभी प्रकार के शोषण व अन्याय से बचाया जाए (अनुच्छेद 46)
2. सरकार द्वारा संचालित एवं सरकारी कोष से सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षालयों में प्रवेश पर कोई रुकावट न रखी जाए (अनुच्छेद 29–2)
3. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग पर लगी रुकावटे हटाई जाए जिनका कुछ या पूरा व्यय सरकार उठती है अथवा जो जनसाधारण के निमित्त समर्पित है (अनुच्छेद 15–2)
4. हिंदुओ के सार्वजनिक स्थानों के द्वार कानून समस्त हिंदुओ के लिए खोल दिये जाए (अनुच्छेद 25 ख)
5. लोकसभा तथा राज्यो की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या के आधार पर निश्चित सीटे सुरक्षित की जाए (अनुच्छेद 324, 330 व 342)
6. यदि सार्वजनिक सेवाओ या सरकारी नौकरियों में जनजातीय लोगो का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो सरकार को उनके लिए स्थान सुरक्षित करने व सरकारी नियुक्तियों के समय अनुसूचित जाति, जनजाति के दावों पर विचार करना (अनुच्छेद 16 व 325)
7. जनजातियों के कल्याण तथा हितों के प्रयोजन से राज्यो में जनजाति सलाहकार परिषदों तथा पृथक विभागों की स्थापना की जाए और केंद्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए (अनुच्छेद 164,338, पांचवी अनुसूची)

8. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रो के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाए (अनुच्छेद 224 एवं पांचवी व छठी अनुसूचियां)

निष्कर्ष

राजस्थान की जनजातियों की विभिन्न समस्याएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पौषण, रोजगार, गरीबी, ऋणग्रस्तता, सांस्कृतिक विघटन, मानव तस्करी, बालश्रम जैसी सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एवं कई एनजीओ प्रयासरत है, उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के प्रयास किए जा रहे है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत जनजातियों पर होने वाले अपराध बन्दुआ मजदूरी, मानव तस्करी, छुआछूत पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही की जा रही है एवं उनके निवास व पुनर्वास का प्रावधान किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

जनांकिकी आंकड़े 2011, राजस्थान ।
आयोजन विभाग पंचवर्षीय विवरण
कुरुक्षेत्र पत्रिका, दिसम्बर 2008
भारत का संविधान –सुभाष कश्यप
वार्षिक प्रतिवेदन 2018, जनजाति विकास विभाग, राजस्थान सरकार ।
राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार
आयोजन विभाग परिपत्र, राजस्थान सरकार
विभाग की वेबसाइट www-tad-rajasthan-gov-in
विभाग की वेबसाइट www-http-//socialljustice-nic
विभाग की वेबसाइट www-sjerajasthan-gov-in